उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

संख्या-53 /02/विज्ञापन अनु0(ग्यारह)/2021/02-परीक्षा/2021, दिनांक- 30 दिसम्बर, 2021

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/01

शुद्धि-पत्र-02

आयोग के विज्ञापन संख्या- 02-परीक्षा/2021, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/01 दिनांक 15-12-2021 द्वारा महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के कुल रिक्त 9212 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में विज्ञापन जारी किया गया था।

उक्त विज्ञापन के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग में इस आशय के प्रार्थना पत्र दिये गये हैं कि उनके द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में त्रुटिवश अपना लिंग (Gender) महिला के स्थान पर पुरुष अंकित कर दिया गया था तथा उपर्युक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होने के कारण वे इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने में असमर्थ हैं।

कतिपय अन्य अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय के प्रार्थना पत्र आयोग में दिये गये हैं कि उनके द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में त्रुटिवश क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अपनी श्रेणी विकलांगजन (PH) अंकित कर दिया गया था तथा उपर्युक्त विज्ञापन में विकलांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन न होने के कारण वे इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा याचिका संख्या-30936 (एस.एस.)/2021 गीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-12-2021 में याची को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

कतिपय अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आयोग में इस आशय के प्रार्थना पत्र दिये गये हैं कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में उल्लिखित उनके ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर परिवर्तित/अनुपलब्ध हो जाने के कारण वे स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद हेतु आवेदन किये जाने के लिए ओ0टी0पी0 प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे आवेदन करने में असमर्थ हैं तथा उन्हें अपना ई-मेल/ मोबाइल नंबर संशोधित करते हुए आवेदन की अनुमति प्रदान की जाए।

आयोग द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में निम्नवत निर्णय लिए गये हैं -

1- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के अंतर्गत, जिन महिला अभ्यर्थियों द्वारा अपने लिंग (Gender) सम्बन्धी कॉलम में त्रुटिवश अपना लिंग (Gender) महिला के स्थान पर पुरुष अंकित कर दिया गया है, उन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा अनुमन्य कर दी गयी है। **ऐसी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त (मूल विज्ञापन के 'प्रस्तर-3 आवेदन पत्र में संशोधन' में इंगित प्रक्रियानुसार) अपनी लिंग (Gender) सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में संशोधन करना अनिवार्य होगा। उपर्युक्तानुसार संशोधन न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।** यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत समस्त पद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापित हैं, अतः पुरुष अभ्यर्थी आवेदन हेतु अनर्ह होंगे।

30/12/2021

2- उक्त विज्ञापन के प्रस्तर-5.2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर विकलांगजन को आरक्षण दिये जाने हेतु कोई चिन्हांकन नहीं किया गया है, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा याचिका संख्या-30936 (एस.एस.)/2021 गीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-12-2021 के समादर में याची व उनके समान स्थित (Similarly Situated) अन्य विकलांगजन को भी उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थी अपनी लम्बवत श्रेणी के अनुसार नियमों के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे, परन्तु उन्हें विकलांगजन श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

3- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा/2021 के अंतर्गत, जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर/ ईमेल त्रुटिपूर्ण होने के कारण ओ0टी0पी0 प्राप्त नहीं हो रहे हैं और जिसके कारण वे उक्त विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के होमपेज के Applicant Segment के अंतर्गत File Request for Change in Mobile number / Email id पर अपना मोबाइल नंबर/ ईमेल आई0डी0 संशोधन की सुविधा अनुमन्य कर दी गयी है।

4- अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा/ आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्ववत 05-01-2022 ही रहेगी। अभ्यर्थीगण ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जमा करने के उपरान्त विज्ञापन में अनुमन्य प्रविष्टियों में संशोधन दिनांक 12-01-2022 तक कर सकेगें। उक्त तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

5- विज्ञापन संख्या- 02-परीक्षा/2021, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/01 दिनांक 15-12-2021 उपर्युक्तानुसार संशोधित समझा जाए।

30/12/2021

सचिव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

लखनऊ।